न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– जगदीश प्रसाद बनाम चिरंजीलाल आदि

किस्म मुकदमा–आवेदन पत्र अ0 धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0– 90 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
03.11.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री सांवरमल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण हक हिस्से व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने, बेदखल करने, रहन विक्रय आदि करने पर आमादा है सो अप्रार्थीगण के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि पक्षकारान आगामी पेशी दिनांक 01.12.2023 तक ग्राम सुजावास पटवार हल्का सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 510 रकबा 7.4000 है0, एवं खसरा नम्बर 511 रकबा 1.7800 है0, खसरा नम्बर 520 रकबा 2.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7900 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नही करे। यह अन्तरिम आदेश गैरमुमकीन रास्ता की भूमि पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियॉ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जायेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.12.2023 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहे व तत्पश्चात् उक्त अन्तरिम आदेश हेतु पुनः विचार कर आगामी कार्यवाही हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 01.12.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	
01/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक. 08/1/24 ....को पेश है।	

न्यायालय..........
बयान..........
मुकदमा नं..........

8/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप./अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए। इश्तहार तामील पत्रावली दिनांक 14/2/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

14/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 19/3/24 को पेश हो। पी.ओ. महोदय आज अन्य कार्य में व्यस्त है।

19/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 3/5/24 को पेश हो। पी.ओ. महोदय आज अन्य कार्य में व्यस्त है।

3/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस रसीद सहित पेश किये। आदेश पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली वास्ते तामील आदेश दिनांक 11/6/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। पत्रावली वास्ते तामील आदेश दिनांक 10/7/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

18/6/24 पत्रावली प्रार्थीगण के आवेदन पत्र बाबत निगरानी पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण की पहचान एडवोकेट श्री ... चौधरी ने की एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये। चूंकि वाद नोट प्रेस के कारण लिया जा चुका है इसलिए इस आवेदन पत्र का धारा 212 RT Act में कानूनन निस्तारण का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act प्रार्थीगण नोट प्रेस के खारिज किया जाता है। पत्रावली निगरानी हेतु बाद कार्यवाही आवश्यक ... हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/6/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर